सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2019/30 दायर दिनांक 24.01.2019

वादी		प्रतिवादी
1. मेघाराम पुत्र श्री गोपालराम उम्र 39,साल जाति मेघवंशी निवासी आजवा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
अन्तर्गत धारा– 136 R.T.Act.

उपस्थित–

1. श्री मेहन्द्रसिंह खिलेरी अधिवक्ता, वादी।
2. प्रतिवादीगण सं0 01, अनुपस्थित

–:: निर्णय ::–

दिनांक 24.01.2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी का खेत खसरा नम्बर 207 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 02 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा वाके शरहद आजवा में आया हुआ है जो वादी के हक अधिकार व कब्जे काश्त में है।

वादी के पिता की फौतगी के पश्चात उपरोक्त सभी खसरान में भूल वश वादीगण का नाम मेघाराम की जगह चम्पालाल अकिंत कर दिया गया है।तथा वादीगण के सभी आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड व शैक्षिक दस्तावेज आदि में नाम मेघाराम दर्ज है।तथा वादी के उपरोक्त सभी खसरो में चम्पालाल पुत्र गोपालराम अकिंत हो गया।

वादी का नाम खतौनी में उसके हक अधिकार व कब्जा काश्त की भूमि मे गलत नाम चम्पालाल होने के कारण अत्यधिक असुविधा व परेशानिया का सामना करना पड रहा है।वादी के उपरोक्त खेत खसरान की भूमि में अपना नाम चम्पालाल के स्थान पर मेंघाराम दर्ज करवा कर राजस्व रेकर्ड को शुद्ध करवाना चाहते है।इस हेतु यह वाद पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना वादी है कि

खेत खसरा नम्बर 207 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 02 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा वाके शरहद आजवा में जहाँ चम्पालाल पुत्र गोपालराम अकिंत है।वहाँ पर मेघाराम पुत्र गोपालराम नाम दर्ज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन करने पर पाया कि वादी के दस्तावेज आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड व शैक्षिक है जिनमें मेघाराम पुत्र गोपालराम नाम दर्ज है मगर खतौनी में चम्पालाल पुत्र गोपालराम दर्ज

–2

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

है।इसलिए वादी अपना नाम खेत खसरा नम्बर 207 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 02 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा वाके शरहद आजवा की खातेदारी में चम्पालाल पुत्र गोपालराम के स्थान पर मेघाराम पुत्र गोपालराम घोषणा करवाने का अधिकारी है।अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा नम्बर 207 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 02 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा वाके शरहद आजवा की खातेदारी में वादी का नाम चम्पालाल पुत्र गोपालराम के स्थान पर मेघाराम पुत्र गोपालराम घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **24.01.2019** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2019/30** दायर दिनांक **24.01.2019**

वादी		प्रतिवादी
1. मेघाराम पुत्र श्री गोपालराम उम्र 39,साल जाति मेघवंशी निवासी आजवा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
अन्तर्गत धारा– 136 R.T.Act.

दिनांक **24.01.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मेहन्द्रसिंह खिलेरी वादी उपस्थित व प्रतिवादी सं0 01 अनूपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा नम्बर 207 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 02 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा वाके शरहद आजवा की खातेदारी में वादी का नाम चम्पालाल पुत्र गोपालराम के स्थान पर मेघाराम पुत्र गोपालराम घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.. ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.01..2019** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर,
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–30–**2019**/रीडर/2019/ 94 दिनांक 28/1/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
अन्तर्गत धारा– 136 R.T.Act.

वादी	बनाम्	प्रतिवादी
1. मेघाराम पुत्र श्री गोपालराम उम्र 39,साल जाति मेघवंशी निवासी आजवा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner